संख्या-88/2016/1035/41-2016-64 यो0/15

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 26 जुलाई, 2016**

विषय- जनपद मेरठ स्थित नौचन्दी मेला ग्राउण्ड पर हजरत बाले मियां की मजार पर अवस्थापना सुविधा/सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-347/6-1-1(499)/2015, दिनॉक 08-06-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मेरठ स्थित नौचन्दी मेला ग्राउण्ड पर हजरत बाले मियां की मजार पर अवस्थापना सुविधा/सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-92.27 लाख (रूपये बान्नवे लाख सत्ताइस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-79/2015//676/41-2014-64 यो0/15, दिनांक 29-03-2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मेरठ स्थित नौचन्दी मेला ग्राउण्ड पर हजरत बाले मियां की मजार पर अवस्थापना सुविधा/सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 42.27 लाख (रूपये बयालीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(5) निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व कार्यस्थल का फोटोग्राफ्स तथा कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी तत्काल उपलब्ध करायी जाय, जिससे कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

(6) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध करया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-सम्बर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-88/2016/1035(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
6- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)

http://srasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in